

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञापन संख्या — वी.आर. 21 / 2025

डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) फेस-टू-फेस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण सत्र 2024–26 में नियमानुसार वैध नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन पत्र भरने एवं शूल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एकद द्वारा ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा तारीखि से सम्बद्धता प्राप्त की जाएगी। इसके कोरो सम्बलित राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, राजधानी उनके अधिभावक, विद्या कार्यक्रम विद्यालिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा विद्या शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि डी.एल.ए.ड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024 में सम्बलित हुए विद्यार्थियों को द्वारा संस्थानों में नामांकन के लिए एसरेखन भव्य हुए गए औनलाइन आवेदन (Common Application Form) के आधार पर द्विवर्षीय डी.एल.ए.ड. (फैसा-टू-फैस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के लिए विधिवत नमांकित विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा में सम्बलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से [हिन्दू का 25.01.2025 से 07.02.2025 तक](https://enrollment.biharboardonline.com) की अवधि में मत्ता जाएगा। तथा निर्धारित हुए जमा किया जाएगा। विद्यालय लिए तारीखों का गोटल (वर्षांदेश) <https://secondary.biharboardonline.com> उक्त अवधि में सुनित रहेगा।

2. विविक्त नामांकित विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण बहु तुआ है, जो अनिलाईन प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें कोई छेड़-छाड़ / परिवर्तन नहीं किया जाना है। आवेदक द्वारा मात्र खण्ड 'C' में क्रमांक 17 से 30 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

3. रपट विषया जाता है कि सूचीकरण आवेदन में अंकित विवरणों के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन नहीं जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण आवेदन भरने में पूरी सततता बरती जाए, ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।

4. शिक्षा की मुश्किल बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत रीट के अनुरूप ऑफनलाईन माध्यम से समिति द्वारा बयानप्राप्त अथवा प्रथम / द्वितीय / तृतीय एवं चौथी नामांकन प्रक्रियान्वयन विविक्त नामांकित एवं वैष्ण तथा सही अभ्यर्थित वाले विद्यार्थियों का ही सूचीकरण दी-एल-एड. (फैस-टू-फैस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के लिए हो जाए। और इसमें किसी भी प्रकार की तृक् अथवा त्रुटि नहीं होने पाये। बाद में किसी भी तरह के संशोधन / परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

5. यहाँ यही एक स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं विहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों के प्राचार्य द्वारा ही पैक विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन ऑफनलाईन भरा जाएगा एवं विद्यार्थियों सुनकर जमा किया जाएगा। जिन विद्यालय संस्थानों की मान्यता / सम्बद्धता रद्द / अनिलिपित / वापस से लो गई है, वैसे विद्यालय संस्थानों का सूचीकरण आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा, अपितु ऐसी स्थिति में समिति को अवगत कराते हुए मार्ग-निर्देश प्राप्त किया जाएगा।

6. यदि विद्यार्थी को आधार संख्या आवंटित है तो उसे सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के स्तरम्-17 में अंकित किया जाए। यदि आधार संख्या आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आधार की घोषणा स्तरम्-18 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। आवेदन प्रपत्र के स्तरम् 17 एवं 18 में आधार संख्या निवेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।

7. विषय संख्याः

• 阿爾伯特·史密斯

विषय कोड		
1	2	3
अनिवार्य विषय समूह (Compulsory Subject Group)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11 & F-12 S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 S-9 (Pedagogy of anyone subject from Upper-primary level (class 6-8)):- (a) Mathematics (b) Science (c) Social Science (d) English (e) Hindi-2 (f) Sanskrit (g) Maithili (h) Bangla (i) Urdu

द्वितीय वर्ष के विषय कोड 5-9 (उच्च-प्राथमिक सत्र वर्ष-6-8) के विकल्प (a से i) में से किसी एक का वर्णन किया जाएगा।

8. ERC/NCTE से मान्यता प्राप्त एवं विहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्ता सभी प्रीप्रीव्यू रिकार्ड्स/सार्वानन्द के प्राचारण दिनांक 25.01.2025 से 07.02.2025 तक की आधिक में समिति के पार्टेल (विकल्पाईट) <https://secondary.biharboardonline.com> से पंजीयन आवेदन प्रपत्र की जल्द— जल्द दो प्रतीत में अपलोड कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद विद्यालय को उपलब्ध कराना दें। विद्यालय विद्यार्थी द्वारा प्रिवेट कोड-8-9 में वर्णित विकल्प

प्रत्येक एवं अन्य विद्यार्थी का नमा भासा भरा हुआ हस्ताक्षर (कागज पराम) है।

8.1 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा मरे गये एवं हस्ताक्षर सहित पंजीयन आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्तायांक के पास जारी किया जाएगा एवं दूसरी प्रति पर प्रतिक्रिया संस्थान को प्राप्तायांक का हस्ताक्षर एवं उत्तराधारण प्राप्त करना विद्यार्थी द्वारा अपने लिए एवं संबोधित किया जाएगा। इसके उपरान्त प्रतिक्रिया संस्थान व प्राप्तायांक अपने कार्यालय में विभिन्न संघरण नामांकन पंची एवं अन्य संगठन अधिकारीहोंको की सभी प्रतिक्रिया को निलाम कर आश्वस्त हो लेंगे कि विद्यार्थी द्वारा पंजीयन आवेदन में भौतिक गवेह विवरण प्रतिक्रिया संस्थान में

रक्षित संगत अभिलेखी के बिल्कुल अनुसर है।
८.२ प्रविकान लक्षणों के प्राचारन, जिन विद्यालयों का पंजीयन आवेदन अनियाइन भरे गए और निधारित शुल्क का करेंगे, उसमें से प्राचारन विद्यालयों की अनियाइन भरे गए पंजीयन आवेदन की तीन प्रतियों तक मिली वेबसाइट पर डाउनलोड कर उसमें से यो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संचित विद्यालयी का उपलब्ध करा देने और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख दस्तावेज संरक्षित रखेंगे।

8.3 प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा अनिलदेवन भरे गए पैट्रियन आवेदन की दो प्रति, जो प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दिया जाएगा, उसमें यदि किसी प्रकार की तुरी हो, तो शब्दावली विद्यार्थी याहिर संरक्षण कर अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के दस्तखात कराने हेतु एक प्रति चपलता करा-देंगे और एक प्रति पर वास्तवान का हस्ताक्षर मुहर पाप

६.४ विशाली द्वारा प्राप्त करते हैं गये संशोधित पंजीयन आवेदन प्राप्ति के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य शनिवारि के पोर्टल पर वाचित संशोधन करते हुए **दिनांक 07.02.2025 तक ऑनलाइन पंजीयन**

१९. विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में नियम अनुदेश [Instructions Regarding Eligibility of the Students] – दिनांक 01.01.2024 को विद्यार्थियों को नवाचारण आयु 17 (सत्रज) वर्ष होनी चाहिए। इसके बावजूद उसके लिए विद्यार्थियों का आयोग अलगीकृत कर दिया जाएगा ताकि इस बद्रि में यथा सुन्दर वापसी नहीं किया जाएगा। साथ ही सत्र 2024-25 में नामांकित विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता उच्च मान्यताकाल तक समरपक्त परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो। अवसुलियन जारी / अनावृत्ति जननशास्त्रीय

10. डी.एस.एस. (हेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम के प्रतिक्राण सत्र 2024-26 के पंजीयन की मानवता लगातारीन वर्षों के लिए ही मान्य होगी।

तला शिल्प पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई

11. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवधित ERC/NCTE से मान्यता प्राप्त एवं विद्यालय परीक्षा शमिली से सम्बद्धता प्राप्त तभी प्रतिक्रिया रखन्होने के प्रावधारी की बैठक आहुत कर उन्हें विद्यालयीयी की पंजीकरण निर्वाचित अधिकारी के अनुसार कराये जाने हेतु उन्हीं नियमों से अवगत कराये सुन् उसका दृढ़ता से अनुसारन करने के संबंध में नियोजित करें।

12. पञ्जाब आवादन हस्ते निर्धारित शूलक का विवरण निम्नतर दे

मद	निर्धारित शुल्क
ऑनलाईन पंजीयन आवेदन पत्र शुल्क (सभी कोटि के विद्यार्थियों को)	₹ 50
ऑनलाईन डाटा इन्ट्री शुल्क	₹ 20
पंजीयन शुल्क	₹ 330
कुल राशि	₹ 400

जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, प्रथमतः विद्यार्थियों के संस्करण के आधार पर निपारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा किया जाएगा। इसके उपरान्त शुल्करण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

१३. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य निम्नांकित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यार्थियों का आवेदन प्रीतिशाल आदेदन मरना एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे।



13.2 ई-चालान से भुगतान :- पर्यायन सुलक ई-चालान के माध्यम से **Axis Bank Limited** एवं **Punjab National Bank** के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिवाल संस्थान के प्राचार्याचारी ई-चालान से भुगतान करने समय वह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी शिक्षिती में भुगतान सीधे समिति को द्वारा में नहीं कर ई-चालान में अंकित फैक बाटा में ही हो। ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। सभीमें द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस तरह से भुगतान किये गये सुलक की जबाबदी प्रशिक्षण नियमन के प्राचार्य की होती है। प्रत्येक चालान का अन्तिम अंतर्गत भुगतान आवश्यक है। किसी भी शिक्षित में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक

11.3 NEFT के माध्यम से भुगतान – दिल्ली संस्कार के प्राचार्य NEFT पर अकेले खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संकेत में भुगतान करने से पहले जागरूक पैसे कर लेंगे Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायेगी और राशि अपनी राशि से अधिक होनी चाहीए।

13.3.1 NEFT का भुगतान करने वाले वे PaymentAdvice को प्रिलाकर एक तरफ में न करें।

13.3.3 यदि NEFT से किया गया भुगतान पुनः दरी स्थारी में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspense Account में जागा हो जाती है। अतः शिक्षण संस्थान के प्राचार्य NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घण्टे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य कुमिलिश हो लेंगे कि उनके द्वारा उसी राशि संस्थान संपर्क हो गया है।

13.3.4 यदि पाली यार कीर्ति बैंक के Account से NEFT से भुगतान किया जा सकता है, तो उस बैंक में अपने Account का CIF नंबर (रेप्रेशन फैरेक्टर रहिंग) जिसमें स्पेशल फैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल फैरेक्टर को हालांकां आवश्यक होगा। तभी NEFT से भुगतान किया जा सकता है। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

13.3.5 NEFT से गाड़ी Payment Advice पर अकिता A/c No. पर ही भुगतान करेंगे। किंतु अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होंगा।

13.3.6 ऑनलाइन बृगदान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।

14. सत्र 2024-25 की परीक्षा में रामिलित होने वाले विद्यार्थियों का उच्ची विषय के साथ परीक्षा अवधारणा एवं गुणवत्ता दर्शावार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी पूछीजाए होंगे। इस उत्तरमें विद्यार्थी

15. अटा अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतहकारी के राज्य राज्य-2024-26 के तहीं

16. ऑनलाईन पर्यावरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की अवश्यक कारबोल सुनिश्चित किया जाए।

अनुकूलित होने पर समिति के हेल्पलाईन नम्बर— 0612-2230051 अथवा E-mail ID : bsebsehelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक (विधि-